तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./7185/2002/नागौर **रामचन्द्रर बनाम मोहन राम व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 27–9–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक नियमित वाद प्रस्तुत करते हुये उसके साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 30–6–99से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–9–02 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादपत्र में अंकित आराजी पोकरराम की खातेदारी की थी। पोकरराम की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उसके दोनों पुत्र खेराज व हरजीराम के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। उक्त आराजी हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभक्त सम्पति है। वर्तमान प्रार्थी खेराज के गोद चला गया। इसलिये 1/2हिस्सा प्रार्थी का है। शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण का है। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 121रकबा 32बीघा 5विस्वा के आधे हिस्से पर कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./7185/2002/नागौर</u>** **रामचन्द्र बनाम मोहन राम व अन्य**	

2076 रकबा 41बीघा 17विस्वा के एक तिहाई पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उसी हिसाब से बटवारा होना चाहिये। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये थी। हिन्दू परिवार की अविभक्त सम्पति में यदि एक सहखातेदार का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं होता है तो उसके अधिकार समाप्त नहीं होते है। चूँकि प्रार्थी खेराज के गोद गया है इसलिये वादग्रस्त आराजी में उसका 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों की जांच किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर प्रार्थी की ओर से अधिनियम की धारा212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे।

5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व रेकार्ड हरजी के नाम दर्ज था जिसकी मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों के नाम दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थी भी है।यदि वह खेराज के गोद चला गया तो हरजीराम की भूमि में कैसे हिस्सा ले सकता है। इसलिये निगरानी खारिज योग्य है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन,अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल पुरूष पोकरराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी हरजी के नाम दर्ज हुई है और हरजी की मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों का नाम दर्ज किया गया है। पोकरराम के दो पुत्र खेराज व हरजीराम हुये। खेराज का नाम राजस्व रेकार्ड में कैसे दर्ज नहीं हुआ यह मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा तय होगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थी खेराज के गोद गया अथवा नहीं इसका निर्धारण भी मूल वाद में ही होगा। प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./7185/2002/नागौर</u>** **रामचन्द्र बनाम मोहन राम व अन्य**	
	समक्ष जो अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णनीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिये विचारण न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उसकी सही रूप से पुष्टि की गई है। 8– अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	